



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर



Phone-no./Fax-no. 01370-260070

E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 803 / 33 सी०  
सेवा में,

दिनांक 15 / 05 / 2024

प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनिकीरेती।

विषय — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बेंजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्त (प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/28766/2017)

महोदय,

विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8वी०/यू०सी०पी०/06/76/2018/एफ०सी०/1405 दिनांक 30.09.2020 द्वारा प्राप्त है। भारत सरकार के पत्र के अनुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या चार-चार प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

- शर्त सं० 1 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 2 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(क) :- के अनुपालन में ग्राम थाती डागर की 3.745 हे० सिविल सोयम भूमि खसरा संख्या 6364, 6365 एवं 7272 पर स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का रोपण कर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु हेतु निर्धारित धनराशि रू० 1262754.00 दिनांक 09.06.2021 को ऑन लाईन जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न है)।
- शर्त सं० 3(ख) :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश सं० 503/XXVI-(2013-14) दिनांक नई टिहरी मई 13, 2024 को हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न)। तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखा में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की गई है। (प्रमाण पत्र संलग्न) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(ग) :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। जिस हेतु वन मंडल अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(घ) :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 4 :- के अनुपालन में अवगत कराना है सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की धनराशि के धनावंटन की कार्यवाही गतिमान है धनावंटन प्राप्त होते ही उक्त प्राप्त धनराशि का ड्राफ्ट प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग को भेज दिया जायेगा।
- शर्त सं० 5(क) :- के अनुपालन में एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रू० 1230233.00 दिनांक 09.06.2021 को ऑन लाईन जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति संलग्न है)।
- शर्त सं० 5(ख) :- के अनुपालन में यदि एन०पी०बी० की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 6 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम से कम वृक्षों का कटान/पालन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 70 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 7 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि पैरा-11.2 के दिशानिर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति वन विभाग को प्रेषित की जायेगी। साथ ही यह इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 8 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है (चालान की प्रति संलग्न)।
- शर्त सं० 9 :- के अनुपालन में एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा (एफ०आर०ए० प्रारूप संलग्न)।

- शर्त सं० 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार पर सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचों-बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 11 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविधियमन साईनेज लगाये जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 12 :- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी०डब्लू०एल०डब्लू०/एन०बी०डब्लू०एल०/एफ०ए०सी०/आर०ई०सी० की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान किया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 13 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- शर्त सं० 14 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की बिना पूर्वानुमति के ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 15 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 16 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे कि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 17 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 18 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- शर्त सं० 19 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 20 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 21 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की बिनापूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
- शर्त सं० 22 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 23 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 24 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर तथा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा, मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)
- शर्त सं० 25 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि इस प्रस्ताव पर कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि लागू होते हैं तो उनकी जरूरी अनुमति ली जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 26 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर भी अपलोड की जायेगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें तथा मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों के छपान व कटान के आदेश निर्गत करते हुए कार्य प्रारम्भ की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार पांच-पांच प्रतियों में।

पत्रांक 003 /33 सी

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(इं० डी०पी० आर्य)

अधिशायी अभियन्ता  
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

दिनांक 15/05/2024


अधिशायी अभियन्ता  
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग  
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

0/1

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-1 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैँज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-2 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।


  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैँजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-3 (क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग के व्यय पर ग्राम थाती डागर की 3.745 हे० सिविल सोयम भूमि खसरा संख्या 6364,6365 एवं 7272 पर स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों का रोपण कर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बँज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-3 (ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चयनित ग्राम थाती डागर की सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 3.745 है० है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित कर दिया गया है तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की जा चुकी है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

## ::आदेशः

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या:-8बी/यू0सी0पी0/06/76/2018/1405 दिनांक 30.09.2020 को अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से आगे बरसील पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी शर्त सं० 03(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.745हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम थाती डागर के खसरा सं० 6364,6365,7272 तहसील कीर्तिनगर में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा।

उक्त के क्रम में अधिशासी अभियंता, अ०ख० लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर के द्वारा कार्यालय पत्र सं० 736/33 सी०/दिनांक 07.05.2024 के द्वारा विषय वर्णित मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम थाती डागर तहसील कीर्तिनगर सिविल भूमि खसरा सं० 6364,6365 एवं 7272 की सिविल भूमि का दुगने क्षेत्रफल में 3.754 हे० भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव पर संलग्न प्रपत्र के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क० सं०	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं०	अर्जित रक्वा (हे०)	भूमि की किस्म
	1	2	3	4	5	6
01	थाती डागर	डागर	389	6364म०	2.300हे०	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ड
				6365म०	0.440हे०	
				7272म०	1.005हे०	
				योग	3.745हे०	

प्रस्तावित खजरा बैंजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से आगे बरसील पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या:2882/XXIII(II)/11-18(120)/2010 दिनांक: 11नवम्बर 2011 पर शासनादेश संख्या:

4/

2385/XXIII II / 13-18 (120) / 2010 टी०सी० दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा ग्राम  
 वन-निवेश सुनार प्रस्तावित वन भूमि के माध्यम से सुनार सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में  
 प्रस्तावित किया गया है। यह आवेग न० उत्तराखण्ड/न० उत्तराखण्ड शासन  
 उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग का निर्गत आदेश  
 का अनुपालन करना होगा।

अन्तरण शासनादेश संख्या:2173/XXIII II) / 2012-18(120) / 2010 राज्य  
 अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के द्वारा प्रस्तावित  
 की गयी उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रकबा-3.745 हे० सिविल भूमि उल्लिखित  
 शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के  
 पक्ष में अतिरिक्त दृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है, तहसीलदार कीर्तिनगर तत्काल  
 उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

(मयूर दीक्षित)  
 जिला अधिकारी,  
 टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या: 573 / XXVI- (2013-2014) दिनांक नई टिहरी नई 13, 2024

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:-सचिव वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2:-सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 3:-आयुक्त एवं सचिव,राजस्व परिषद देहरादून।
- 4:-आयुक्त गढ़वाल मण्डल पाँडी।
- 5:-मोडल अधिकारी वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 6:-प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।
- 7:-अधिशासी अनियन्ता,लोक निर्माण विभाग, कीर्तिनगर।
- 8:-उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर।
- 9:-तहसीलदार कीर्तिनगर।

W  
 जिला अधिकारी,  
 टिहरी गढ़वाल।

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-3 (ग) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

राजि अधिकारी  
माणिकनाथ रेंज  
कीर्तिनगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
कीर्तिनगर उप वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
मुनिकीरेती

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बँज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०—3 (घ) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैँच्वाड़ी के कि०मी० ०४ से आगे पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु १.८७२५ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।  
(प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-४ का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन प्राक्कलन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक ३१६३/३३सी० दिनांक २८.०८.२०२३ तथा ७७९/३३सी० दिनांक १०.०५.२०२४ से आप से अनुरोध किया गया है प्राप्त हो। वन विभाग के पक्ष में धनराशि जमा कर दी जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-5(क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एन०पी०वी० के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.8725 हे० हेतु @657000.00 प्रति हे० की दर से रु० 1230233.00 की धनराशि ऑनलाइन ई चालान संख्या 2519 दिनांक 09.06.2021 द्वारा कैम्पा फंड में वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है (प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं एन०पी०वी० की राशि को संयुक्त चालान द्वारा जमा कर दिया गया है। )

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिसाँसा अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28756/2017)

### शर्त सं०-5(ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि एन०पी०बी० की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बँजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK /ROAD / 28766 / 2017)

### शर्त सं०-6 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 70 वृक्षों से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिसासी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-7 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाईडलाईनस में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा-11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति वन विभाग को प्रेषित की जायेगी। साथ ही यह इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-8 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/ जमा की जाने वाले धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गई है।


  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिसासी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FF/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०—09 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण—पत्र के माध्यम से किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR  
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)**

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District, Constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri [Signature] I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Devprayag Block area measuring 4.8725 Hectare for the construction of Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor road in Tehsil Devprayag of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Kirtinagar Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

  
 ( [Signature] )  
 जिला अधिकारी  
 District Collector Cum chairman

District Tehri Garhwal  
New Tehri

[Stamp]  
 [Signature]  
 11-11-07

It is further certified that – Minutes of meeting of Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor Road (4.00 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.	Remarks
(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.8725 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b) The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत अधिकारी  
मुख्य निदेशक, हजारासत  
धरती बाजार  
बनारस जिला, बिहार

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
डिहरी गढ़वाल

प्रमाणित कर्मचारी  
नरेंद्र कुमार, वन प्रभाग  
मून-को-रती  
मुनिकीरती

Signature

(सिने)  
Distt. Collector  
डिहरी गढ़वाल

13-11-17

प्रपत्र-~~282~~ 302

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में खजरा वैजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।

उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड देवप्रयाग परिसर के अन्तर्गत खजरा वैजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग

1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि 0.1050 हे० सिविल सोयम भूमि, शूय वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रबंधता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 03/05/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री नूपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. श्री जी. पी. कुलो	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3. श्री राजा सिंह कर्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4. श्री मीना देवी	वी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य
5. श्री कमल सिंह कर्वाल	वी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्थानित करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि खजरा वैजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.8725 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रबंधता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित होगी। प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। आम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कार्य प्रारम्भ सम्बन्धित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को माननीय सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उप प्रभागों के जिलाधिकारी, देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित प्राधिकार प्राप्त अन्य परम्परागत वन भिक्वारी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियमों के प्राविधान को संदर्भ देते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी अधिकार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में ग्राम वन सचयत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

देहक ने सर्वसम्मति से उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत खजरा बेंजवाड़ी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पोथ गन्जुली तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में लक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यर्पित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील-.....कोशी नगर.....  
 जगपद .....डि.डी. (गि.ग.ग.).....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, डि.डी. (गि.ग.ग.) को सूचितार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

रहु.

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 तहसील-.....कोशी नगर.....

परियोजना का नाम: राजस्व योजना के अन्तर्गत विधान सभा देवप्रयाग में खजरा  
 बेंचवाड़ी के कि०मी० ४ से ५ तक बरसीला पोथ मनजुली तक मोटर  
 मार्ग का विस्तार कार्य।

दिनांक 03/05/2017 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
 जनपद

श्रीमती नूपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2. श्री जी.पी. व लो	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3. श्री रणजीत कर्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	उप प्रभागीय वनाधिकारी (देवप्रयाग) मन्दिनगर देव प्रयाग 3/5/2017
4. श्री भद्रा भीनारैवी	वी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	
5. श्री कर्ण सिंह कर्वाल	वी. डी. सी. क्षेत्र	सदस्य	

सदस्य-समाज कल्याण  
 देवप्रयाग  
 दिनांक- 3-5-2017

परियोजना का नाम :-

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैँजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

**वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र**

ग्राम पंचायत का नाम - थाती डागर, ग्राम पोथ

तहसील कीर्तिनगर जिला टिहरी गढ़वाल

**अनापत्ति प्रमाण पत्र**


उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैँजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत थाती डागर द्वारा दिनांक 10.03.2017 को सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि न आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि जट है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पोथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम प्रधान



10/3/2017  
10/3/2017



प्रपत्र-23.1


दिनांक 10/3/2017 को ग्राम सभा की सम्मन्वित बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत/डांगर ग्राम - 99/84

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेश लाल	Suresh Lal
2	पुनम लाल	Punam Lal
3	गुरुर सिंह कलठा	Gurur Singh Kaltha
4	मोह सिंह कलठा	Moh Singh Kaltha
5	मोहन सिंह कलठा	Mohan Singh Kaltha
6	मोहन सिंह कलठा	Mohan Singh Kaltha
7	गुरुर सिंह कलठा	Gurur Singh Kaltha
8	मोहन सिंह कलठा	Mohan Singh Kaltha
9	गुरुर सिंह कलठा	Gurur Singh Kaltha

प्रमुख/ग्राम प्रधान

महाराष्ट्र  
अस्थायी कार्यकारी वि०  
खानगढ़-मु० कान्तिनगर दि० १०

Handwritten signature and name



Handwritten signature and name

प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बैजवाड़ी डागर

तहसील ~~कीर्तिनगर~~ जिला टिहरी गढ़वाल



अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (1.7675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.1050 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.8725 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बैजवाड़ी डागर द्वारा दिनांक 10.03.2017 को सन्यन्त ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बैजवाड़ी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।




  
सहायक अभियन्ता 10/3/2017  
अम्थाई एण्ड नो० नि० दि०  
डीनवर-मु० कीर्तिनगर दि० ३०



मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-10 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क को दोनो किनारों एवं बीचों बीच पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बेंज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-11 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैँच्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०—12 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सी०डब्लू०एल०डब्लू०/एन०बी०डब्लू०एल०/एफ०ए०सी०/आर०ई०सी० की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान किया जाएगा ।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-13 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।


  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिसासी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बेंजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-14 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशाली अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-15 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।


  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-16 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिसासी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम - जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्त (प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-17 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भन प्राक्कलन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-3163/33सी० दिनांक 28.08.2023 तथा 779/33सी० दिनांक 10.05.2024 से आप से अनुरोध किया गया है प्राक्कलन प्राप्त होते ही वन विभाग के पक्ष में प्राक्कलानुसार धनराशि जमा कर दी जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-18 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।


  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशर्षी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०—19 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-20 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।


  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशायी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-21 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिसासी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०—22 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं० 8बी०/यू०सी०पी०/06/02/2021/एफ०सी०/2160 दिनांक 27.01.2021 द्वारा अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशारी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम — जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-23 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उसका भी पालन किया जायेगा।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशोषी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैज्वाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-24 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा, तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में कटाई नहीं की जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिसासी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

प्रारूप सं० 30

FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 365/26-169 (2016-17)

Dated 26/07/2017

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.8725 hect. of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department, Kirtianganar for Construction of Khajra Bainjwari Motor to Barsila Poth Manjuli Motor Road in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of Manjuli Villages in Devprayag tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire 4.8725 Hect. of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30A
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encf: As above

Signature


()  
(  
Distt. Collector  
टिहरी गढ़वाल


## प्रारूप-49

परियोजना विवरण :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा बैजवाड़ी मोटर मार्ग के कि०मी० 04 से आगे बरसीला पोथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार (लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

मलवा निस्तारण योजना इस मार्गदर्शिका के परिशिष्ट में दिये माडल अनुसार तैयार की जानी है।


  
कारिण्ड अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर।

  
अविभक्त अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर।

# उत्तराखण्ड शासन

## लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड सरकार

8वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग  
नई टिहरी

अस्थाई खण्ड, लोजनिजवि० श्रीनगर  
मुख्यालय—कीर्तिनगर

### MUCK DUMPING

Name Of Work:- जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा दैजवाडी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार। (4.00 कि०मी०)

अनुमानित लागत

Rs. 9.87

लाख

9A

rick disposal pouth manjuli

PWD TD Srinagar, HQ: Kirtinagar

# SPECIFICATIONS

**Name Of Work:-** जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का गिस्तार। (4.00 कि०मी०)

ALL THE WORKS SHALL BE EXECUTED STRICTLY AS PER THE APPROVED SPECIFICATIONS OF UTTARANCHAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT AND ISSUED CIRCULARS / DIRECTIONS BY CHIEF ENGINEER

  
**Assistant Engineer**  
Temp. Div. PWD Srinagar  
Headquarter: Kirtinagar

  
**Executive Engineer**  
Temp. Div. PWD Srinagar  
Headquarter: Kirtinagar

ard Block 22 Kirtinagar (TEHRI) Effective Date 01/05/2016

r Name Wire Crates As per PWD Uttarakhand Specifications

	Item Description	Rate In (Rs)	
		Rate	Unit
-1	Wirecrates in nos.		
-1-1	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 200 & IS 4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each (As per PWD Uttarakhand Specification)	9,040.20	Nos
-1-2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 8 gauge BWG GI wire conforming to IS: 200 & IS 4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each (As per PWD Uttarakhand Specification)	10,445.30	Nos.
-2	Wirecrates in cum		
-2-1	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 200 & IS 4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each (As per PWD Uttarakhand Specification)	1,339.30	cu m
-2-2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 8 gauge BWG GI wire conforming to IS: 200 & IS 4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each (As per PWD Uttarakhand Specification)	1,547.60	cu m

ation:

  
 AB  
 सहायक अभियन्ता-  
 बन्धारी एवं मीठानिधि  
 न. कीर्तिनगर टि.पं.



**PWD UTTARAKHAND**

**DSR REPORT**

Name MISCELLANEOUS ITEMS Year 2016-2017  
 Rate Card Block 22 Kirtinagar (TEHRI) Effective Date 01/05/2016  
 Chapter Name Miscellaneous Items

	Item Description	Rate In (Rs)	
		Rate	Unit
11255 1 7	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including load, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge	268.10	cu.m
11255 2 8	Random rubble stone masonry laid in mud mortar (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,922.70	cu.m
11255 3 9	Random Rubble Masonry laid dry in breast wall, retaining wall, parapets, scupper etc. including supply of all materials, labour & p& royalty etc. required for proper completion of work (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,916.90	cu.m
11256 4 0	H.P. stone filling in back of walls including cost of all materials, royalty, t&p etc. complete	671.00	cu.m
11256 5 1	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6 cement and sand mortar, in breast walls, retaining walls, parapets, scuppers, etc. including supply of all material, labour, T&P and royalties etc. (As per PWD Uttarakhand specifications)	3,000.70	cu.m
11256 6 2	Construction of cooche wall etc. including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work (As per PWD Uttarakhand specifications)	1,102.90	cu.m
11256 7 4	Cement plum masonry with 40% plum & 60% 1:3:7 cement concrete including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work (As per PWD Uttarakhand specifications)	5,002.90	cu.m
11256 8 5	Supply and fabrication of steel truss bridge as per detailed drawing attached including supply of all structural steel conforming IS 226 - 1969 required for proper completion of the bridge including ground erection of the bridge and one coat of approved quality anticorrosive (red oxide) paint of conforming IS 5660, all T&P, nuts and bolts, washers and also including supply and fixing of shop rivets required as per drawing, required equipment shall be arranged by the contractor at his own cost which shall be taken back by the contractor after satisfactory execution of the job. The rates shall include disassembly and erection in the workshop and in dismantling after inspection, approval and removing defects, match marking of all parts, numbering and proper stacking in the premises of workshop before cartage to site of work. The work shall be executed in accordance to IS - 1915. The rates shall include cost of all material, its wastage, cutting, bending if required, welding, making holes, shop riveting, labour, T&P etc. required for proper completion of the work.	76,667.10	MT

Specification:

सहायक अभियन्ता  
 बसवाड़ी ब्लॉक 22, तेहरी  
 बीनगर-म. कोटवाड़ा

### DETAILS OF MEASUREMENT

कार्य का नाम - उत्तराखण्ड टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 4 से आगे  
उपसीला पथ मजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार। (4.00 कि०मी०)


S.No	Item of work	No	L	W/B	H/D	Quantity
1	2	3	4	5	6	7
1	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer-in-charge					
	Site No. 1 (K.M. 1)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 1/2	35.00	1.50	0.75	19.69 Cum.
	Site No. 2 (K.M.1)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 1/2	20.00	1.50	0.75	11.25 Cum.
	Site No. 3 (K.M. 2)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 1/2	30.00	1.50	0.75	16.88 Cum.
	Site No. 4 (K.M. 2)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 1/2	22.00	1.50	0.75	12.38 Cum.
					<b>Total</b>	<b>60.19 Cum.</b>
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)					
	Site No. 1 (K.M. 1)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 3	35.00	1.50	1.50	236.25 Cum.
	Site No. 2 (K.M.1)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 3	20.00	1.50	1.50	135.00 Cum.
	Site No. 3 (K.M. 2)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 3	30.00	1.50	1.50	202.50 Cum.
	Site No. 4 (K.M. 2)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 3	22.00	1.50	1.50	148.50 Cum.
					<b>Total</b>	<b>722.25 Cum.</b>
3	Required area of Nap Land					
	Site No. 1 (K.M. 1)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 1	35.00	15.00	-	525.00 Sqm
	Site No. 2 (K.M.1)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 1	20.00	12.00	-	240.00 Sqm
	Site No. 3 (K.M. 2)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 1	30.00	18.00	-	540.00 Sqm
	Site No. 4 (K.M. 2)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 1	22.00	16.00	-	352.00 Sqm
					<b>Total</b>	<b>1657.00 Sqm</b>
						0.166 Hec
						0.17 Hec
	10000 Sqm = One Hect.					
	Area of dumping yard					

J.E.

Assistant Engineer  
Temp. Div. P.W.D.  
Kirtinagar

**DETAILS OF MEASUREMENT**

कार्य का नाम : जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 4 से आग बरसीला चौथ मजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार। (4.00 कि०मी०)



Calculation of Muck (For 4.00 Km. length)								
1	Quantity of muck	1 x 1/2	4000	3.00	3.45	20700.00	Cum	
						Total	20700.00	
2	Quantity of muck from scupper & catch pit							
	Quantity of muck from scupper	8 x 4	3.00	6.00	3.00	1728.00	Cum	
	Quantity of muck from catch pit	8 x 4	(1.5 x 1.5 + 2.1 x 2.1) / 2		2.50	266.40	Cum	
						Total	1994.40	
						G.Total	22694.40	
3	Quantity of muck from point I. & 2							
Taking E.B. O.R & H.R @ 50%, 30%, & 20% respectively								
i.	50% E.B.	22694.40	x	0.50	=	11347.20		
ii.	20% O.R.	22694.40	x	0.20	=	4538.88		
iii.	30% H.R.	22694.40	x	0.30	=	6808.32		
						Total =	22694.40 Cum	
4	Using swell factor @ 13 on E.B. only	13 x	11347.20	=	14751.36	Cum		
5	Quantity of total muck from point ii., iii., & 4	= 4538.88 + 6808.32 + 14751.36 =					26098.56	
	Quantity of total muck						26098.56 Cum.	
6	Quantity used for grad. improvement & patrie filling of road @ 12.5%	= (26098.56 x 12.5/100) =					3262.32 Cum	
7	Quantity erodes by wind and water @ 25% ( E.B. only )	= (11347.20 x 25.0/100) =					2836.80 Cum	
8	Muck disposal in acquired land beyond 6 mt road width @ 12.5%	= (26098.56 x 12.5/100) =					3262.32 Cum	
9	Quantity of muck disposed in filling (retained by R/W) in 30% length	= (1200 x 2.00 x 3.00) / 2 =					3600.00 Cum.	
10	Scuppers and catch pit @ 57.00 cum. Per no.	= 57.00 x 8.00 x 4.00 =					1824.00 Cum.	
11	Quantity of stones used in R/W	= 1200 x (0.50 + 1.25) / 2 x 3.00 =					3150.00 Cum.	
12	Quantity of stones used in Wire Crates for dumping zones	=					722.25 Cum.	
13	Total quantity of muck used at site including weathering by nature	= 3262.32 + 2836.80 + 3262.32 + 3600.00 + 1824.00 + 3150.00 - 722.25 =					18657.69 Cum.	
14	Quantity of muck retained	= 26098.56 - 18657.69 =					7440.87 Cum.	

निस्तारित की जाने वाली मलबे की मात्रा = 7440.87 cum

इस प्रकार से उत्सर्जित मलबे का लगभग सम्पूर्ण उपयोग sites की रिपेडिंग एवं दीवार निर्माण के प्रयोग में तथा पट्टी किलिंग आदि में हो जायेगा जिससे स्थानीय जनसंख्या को कति नही प्रदूषण एवं भू-क्षरण की सम्भावना भी नहीं होगी।

इस प्रकार अवशेष मलबे का निस्तारण मार्ग की ऐसी जगह चिह्नित किये जा रहे हैं जिससे जन संपदा आदि की कति नही होगी। निस्तारित कचरे को कले कचरे का प्रस्ताव राजमंत्र प्रकल्प कार्यक्रम में दर्शाया जा रही है।

J.E.

Assistant Engineer  
Temp. Div. P.W.D.  
Kirtinagar

**DETAILS OF MEASUREMENT**

जुनपर दिहरी के विकासमण्ड कीसिनगर में खजरा वैजवाडी के कि०मी० 4 से आगे दररगिला पीथ मजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार। (4.00 कि०मी०)

**Dumping Zone - 1 (K.M. )**

35.00mt x 15.00mt x 4.50 mt

Plan of dumping zone 1.

Capacity Of Dumping Zone no.1 = 35.00 x 15.00 x 4.50 = 2362.50 Cum.

**Dumping Zone - 1 (K.M. )**

20.00mt x 12.00 mt x 4.50 mt

Plan of dumping zone 2.

Capacity Of Dumping Zone no.2 = 20.0 x 12.00 x 4.50 = 1080.00 Cum.

**Dumping Zone - 2 (K.M. )**

30.00mt x 18.00 mt x 4.50 mt

Plan of dumping zone 3.

Capacity Of Dumping Zone no.3 = 30.00 x 18.00 x 4.50 = 2430.00 Cum.

**Dumping Zone - 2 (K.M. )**

22.00mt x 16.00 mt x 4.50 mt

Plan of dumping zone 4

Capacity Of Dumping Zone no.4 = 22.00 x 16.00 x 4.50 = 1584.00 Cum.

G. Total 7456.50M<sup>3</sup>

*[Handwritten signature]*

जुनपर दिहरी विकासमण्ड कीसिनगर में  
खजरा वैजवाडी के कि०मी० 4 से आगे दररगिला पीथ मजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार।  
कीसिनगर-मु० कीसिनगर डि० र०

वसु  
नाम  
उपनिर्देशक

**BILL OF QUANTITY**

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा वैजवाडी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला चौथ गंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार। (4.00 कि०मी०)

Sl. No.	Item of work	Quantity	Unit	Rate	Per	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m. dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer-in-charge	60.19	Cum.	268.10	Cum.	16136.27
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)	722.25	Cum.	1339.30	Cum.	967309.43
3	Required area of Nap Land	0.048	Hec	70000.00	Hec	3360.00
				<b>Total</b>		<b>986805.69</b>

J.E.

Assistant Engineer  
Prov. Div. P.W.D.  
New Tehri

Executive Engineer  
Prov. Div. P.W.D.  
New Tehri


जनपद टिहरी  
सांख्यिक- 13,  
आगरा


## आगणन की लागत का सारांश


Name of Work :- जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार। (4.00 कि०मी०)

कम संख्या	विवरण	लागत (लाख में)
1	जनपद टिहरी के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 4 से आगे बरसीला पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का विस्तार। (4.00 कि०मी०)	Rs.986,805.69
	योग	Rs.986,805.69
	अर्थात् लाख रू० में	Rs.9.87

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर  
मुख्यालय-कीर्तिनगर

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर  
मुख्यालय-कीर्तिनगर

  
अधिसूत्री अभियन्ता  
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर  
मुख्यालय-कीर्तिनगर

  
जन सेवाधिकारी  
नामिका  
खजरा

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०-25 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिसासी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर में खजरा बैजवाडी के कि०मी० 04 से आगे पौथ मंजुली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/28766/2017)

### शर्त सं०—26 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं० 8वी०/यू०सी०पी०/06/02/2021/एफ०सी०/2160 दिनांक 27.01.2021 द्वारा अधिरोपित शर्तों की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर

  
अधिशर्षी अभियन्ता  
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर  
मु० कीर्तिनगर